बिहार ... प्रपत्र सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0..

जिला..से..तक

केस का प्रकार.............................., सं0.., सन् १९..................

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
22/08/2023		

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

सेवा अपील वाद संख्याः-51/2023

नागेश्वर शर्मा.....................अपीलकर्त्ता

-बनाम-

राज्य................. रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत सेवा अपीलवाद श्री नागेश्वर शर्मा, पिता-स्व0 बिन्देश्वरी शर्मा, सा0-हेमपुर, थाना-नवहट्टा, जिला-सहरसा सम्प्रति चौकीदार, 1/4 नवहट्टा थाना, जिला-सहरसा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उनके द्वारा दायर CWJC. No-16224/2013 में दिनांक 06.02.2023 को पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, सहरसा के आदेशानुसार प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सहरसा के आदेश ज्ञापांक-749-2/सा0, दिनांक 10.05.2006 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को चेतावनी के साथ दो वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोकने का दण्ड दिया गया है।

संदर्भित मामला संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

पुलिस अधीक्षक, सहरसा के ज्ञापांक-1876/हि0सा0 दिनांक 30.07.1999 से नवहट्टा थाना के चौकीदार 1/4, नागेश्वर शर्मा के द्वारा थाना में अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं होने, रात्रि गस्ती नहीं करने तथा थाना प्रभारी का आदेश नहीं मानने आदि आरोपों के लिए उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। तदालोक में जिला पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 127-1/सा0, दिनांक 15.12.1999 के द्वारा श्री शर्मा को निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। तदोपरान्त आरक्षी अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक 4338/हि0शा0, दिनांक 13.12.2005 के द्वारा श्री नागेश्वर शर्मा, निलंबित चौकीदार 1/4 नौहट्टा थाना के विरूद्ध प्राप्त आरोप प्रपत्र-"क" के आलोक में ज्ञापांक-55-2/सा0, दिनांक 10.01.2006 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अनुमंडल

पदाधिकारी, सहरसा को संचालन पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी, नौहट्टा को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा के पत्रांक 707-2 दिनांक 05.04.2006 से विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें से दो आरोप प्रमाणित पाया गया। तदालोक में जिला पदाधिकारी, सहरसा के आदेशानुसार प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा, सहरसा के ज्ञापांक-749-2 दिनांक 10.05.2006 से श्री शर्मा का दो वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोकते हुए चेतावनी के साथ निलंबन से मुक्त किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपीलवाद दायर किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से दायर वाद पत्र के माध्यम से उनका मूल रूप से कहना है कि दिनांक 15.12.1999 को जिला पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा उन्हें कतिपय आरोपों के आधार पर निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का आदेश पारित किया गया तथा काफी लम्बे समय के बाद दिनांक 10.01.2006 को उनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र-"क" गठित करते हुए संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति करते हुए उनको स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 14.02.2006 को उनके विरूद्ध लगे आरोपों को अस्वीकार करते हुए संबंधित तथ्यों के साथ अपना स्पष्टीकरण संचालन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा के समक्ष समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा के द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में अपना जाँच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, सहरसा को समर्पित किया, जिसके आधार पर अपीलार्थी को दो वेतनवृद्धि, स्थायी रूप से रोके जाने तथा चेतावनी का दण्ड दिया गया। अपीलार्थी का इस बिन्दु पर कहना है कि उक्त विभागीय कार्यवाही में आदेश पारित करने से पूर्व जिला पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा उन्हें न तो जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी और न ही उनसे द्वितीय कारणपृच्छा की गई, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का सरासर उल्लंघन है। तदालोक में अपीलार्थी के द्वारा इस अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए उन्हें दिये गये दण्ड से राहत प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी का पक्ष सुनने तथा उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों के परिशीलनोपरांत परिलक्षित होता है कि अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा वृहत दण्ड अधिरोपित किये जाने से पूर्व द्वितीय कारणपृच्छा किये जाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। तदालोक में निम्न न्यायालय के निर्णय को रद्द किया जाता है, किन्तु अपीलार्थी के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए उन्हें अधिरोपित दण्ड को समानुपातिक करते हुए उनकी एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध की जाती

है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2351 /विधि सहरसा, दिनांक 23-8-2023

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा सेवा अपील वाद सं0-51/2023 में दिनांक-22.08.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, सहरसा को उनके पत्रांक 1092/सपत्र/सा0, दिनांक 01.06.2023 से भेजी गई संचिका/अभिलेख संख्या-11-52/2013 (टि0पृ0सं0-01 से 06 तक एवं पत्राचार भाग क्र0-01 से 49 तक) मूल में संलग्न कर वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपिः- श्री नागेश्वर शर्मा, पिता-स्व0 बिन्देश्वरी शर्मा, सा0-हेमपुर, थाना-नवहट्टा, जिला-सहरसा सम्प्रति चौकीदार, 1/4 नवहट्टा थाना, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।